

वधिवंसक अभियानों के खिलाफ कानून

प्रलमिस के लयि:

अनुच्छेद 300 A, 44वाँ संशोधन, UDHR, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21, ICESCR, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, बचन सहि बनाम पंजाब राज्य (1980), वशिाका बनाम राजस्थान राज्य (1997), पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)।

मेन्स के लयि:

वधिवंसक अभियानों के खिलाफ कानून, नरिणय और मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

देश पछिले कुछ हफ्तों से वधिवंस अभियान का उन्माद देख रहा है। भारतीय संवधान के अनुच्छेद 300A में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"।

- बुलडोजर के माध्यम से त्वरित 'न्याय' सुनिश्चित करने का विचार उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ। [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#) के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में कथित रूप से शामिल लोगों से हरजाना वसूलने के आदेश पारित किए।
 - राज्य सरकार का दावा है कि ये वधिवंस, अवैध अतिक्रमण के जवाब में हैं।
 - हालाँकि तथ्य यह है कि ये मनमाने ढंग से वधिवंस एक विशेष समुदाय के कथित दंगाइयों के खिलाफ किए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य दंगों में शामिल लोगों को सामूहिक रूप से सज़ा देना है।

वधिवंस अभियान कैसे समस्याग्रस्त:

- पर्याप्त आवास का अधिकार:
 - आवास का अधिकार भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- ICESCR:
 - आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वार्ता (ICESCR) का अनुच्छेद 11.1 "पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित अपने एवं अपने परिवार के लिये पर्याप्त जीवन स्तर, रहने की स्थिति में नरितर सुधार के लिये सभी के अधिकार" को मान्यता देता है।
 - इसके अलावा अनुच्छेद 11.1 के तहत पर्याप्त आवास के अधिकार जैसे इन अधिकारों की प्राप्त सुनिश्चित करने के लिये देश "उचित कदम" उठाने के लिये बाध्य है।
 - ICESCR के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों को राज्यों द्वारा केवल तभी प्रतबंधित किया जा सकता है जब कानून द्वारा इन अधिकारों की प्रकृति के अनुकूल और पूरी तरह से समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिये सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।
 - हालाँकि विवादास्पद है कि ये अधिकारों जैसे पर्याप्त आवास के अधिकार पर लगाए गए किसी भी प्रतबंध से इन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है।
 - ICESCR इन्हें विशेष रूप से अनुच्छेद 5 में मान्यता देता है।
- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की रूपरेखा:
 - यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ढाँचे के तहत एक अच्छी तरह से प्रलेखित अधिकार भी है, जो भारत पर बाध्यकारी है।
 - उदाहरण के लिये मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद-25 में कहा गया है कि "हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास तथा चिकित्सा शामिल है।
 - इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कानून किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार में मनमाने हस्तक्षेप को भी प्रतबंधित करता है।
 - उदाहरण के लिये UDHR के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि "किसी की भी गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा"।
 - अनुच्छेद 12 यह भी निर्धारित करता है कि "हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून के तहत संरक्षण का

अधिकार हैं"।

■ ICCPR:

- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतज्ञापत्र (ICCPR) के अनुच्छेद 17 में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को एकल एवं सामूहिक रूप से संपत्तिका अधिकार है और किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।
- इस प्रकार किसी व्यक्ति की संपत्ति में मनमाना हस्तक्षेप करना ICCPR के नियमों का घोर उल्लंघन है।

संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:

- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर नगिम नरिणय 1985, (Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation judgment in 1985):
 - न्यायालय ने नरिणय दिया कि फुटपाथ पर रहने वालों को बनिा तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दिये बनिा बेदखल करना असंवैधानिक है।
 - यह उनके आजीविका के अधिकार (Right to Livelihood) का उल्लंघन है।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा कि "कानून की उचित प्रक्रिया" "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का एक अभिन्न अंग है, यह समझाते हुए कि ऐसी प्रक्रिया नष्पिक्ष, न्यायपूर्ण और उचित एवं तर्कसंगत होनी चाहिये।
 - यदि कानून द्वारा नरिधारित प्रक्रिया काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी प्रकृतिकी है तो इसे प्रक्रिया बलिकूल नहीं माना जाना चाहिये तथा इस प्रकार अनुच्छेद 21 की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा।
- नगर नगिम, लुधियाना बनाम इंद्रजीत सहि (2008):
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि निगरपालिका कानून के तहत नोटसि देने का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो इस अधिकार का अनविरूप रूप से पालन किया जाना चाहिये।
 - देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राधिकरण बनिा नोटसि दिये तथा कब्ज़ा करने वालों को सुनवाई का अवसर दिये बनिा, अवैध नरिमाणों हेतु भी सीधे वधिवंस कार्य नहीं कर सकता है।
- अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सहि बनाम पंजाब राज्य (1980), वशिखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) जैसे मामलों में तथा हाल ही में प्रसिद्ध पुट्टासवामी बनाम भारत संघ (2017) में इस सिद्धांत को नरिधारित किया है कि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को पढ़ा और उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिये जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के साथ उनकी अनुरूपता को बढ़ाएगा।

आगे की राह

- यह उचित समय है कि भारत की संविधानिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका कार्य करे और कार्यपालिका शक्तिके बेलगाम प्रयोग पर आवश्यक रोक लगाए।
 - न्यायालयों को राष्ट्रवादी-लोकलुभावन वमिरश का मुकाबला करने के लिये अंतरराष्ट्रीय कानून का उपयोग करना चाहिये।
- आपराधिक कृत्य के दंडात्मक परिणाम के रूप में वधिवंस अभियान का औचित्यपूरी तरह से आपराधिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।
 - वधिवंस अभियानों का संचालन एक प्रतशिोधी उपाय के रूप में यहाँ तक कि हिंसा को रोकने के लिये घोषित उद्देश्य के साथ तोड़-फोड़ करना कानून के शासन के सिद्धांत का उल्लंघन है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्षो के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- शादी का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है जिसमें कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/law-against-demolition-drives>

